संख्याः-8514/नौ-5-13-1बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
वाराणसी।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 20 फरवरी, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-265/न0आ0/2013-14, दिनांक 26.12.2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत जल निकासी हेतु नालों के निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिये ₹ 201.79 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष **₹ 100.50 लाख (₹ एक करोड़ पचास हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	वाराणसी	नगर निगम वाराणसी	1. सारनाथ वार्ड अन्तर्गत मौ0 अकथा में पहड़िया रौना बेला मुख्य मार्ग आनन्द बिहार कालोनी से भोला बस्ती होते हुये श्री नगर कालोनी तक नाला निर्माण	38.41	
			2. शंकुलधार पोखरा से गलुरिया मोड़ तक तक नाला निर्माण	26.96	
			3. सारनाथ वार्ड अन्तर्गत सारनाथ म्यूजियम पुलिया से सुहेल देव पार्क तक नाला निर्माण	39.05	
			4. पुलिस लाईन मुख्य द्वारा से फ्लाई ओवर के पास नाला तक नाला निर्माण	15.05	
			5. मो0 इन्द्रपुर में राजकीय चिकित्सालय से कोहराना बस्ती मोड़ तक नाली निर्माण कार्य	10.88	
			6. जैतपुरा वार्ड अन्तर्गत वार्ड नं0-23 मुहल्ला नक्खीघाट तिनपुलवा रेलवे पुल के पास से वरूणा नदी की तरफ आर.सी.सी. नाला का निर्माण कार्य	39.03	
			7. मो0 शिवपुर में पंचक्रोशी रोड शराब ठेका (बाई पास पेट्रोल पम्प) से कुशवाहा कटरा तक नाली निर्माण कार्य	9.74	
			8. नगर निगम परिसर के चारो ओर की अवशेष नाली पुनर्निर्माण कार्य।	22.67	
			योग	**201.79**	**100.50**

(₹ एक करोड़ पचास हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर निगमों द्वारा ₹ 50.00 लाख तक, नगर पालिका परिषदों द्वारा ₹ 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सी.एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकाय/कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(7) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(8) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को <u>दिनांक 31 मार्च, 2014</u> तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक ***" 2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई--8-924/दस-14, दिनांक 20 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या :-8514(1)/नौ-5-13-1बजट/2014 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- कोषाधिकारी, वाराणसी।
5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- मा0 महापौर, नगर निगम, वाराणसी।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-20/02/2014

प्रेषण संख्या:- 8514
आवंटन आदेश संख्या:- 001-8514-9-5-13-1Budget-2014
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	वाराणसी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10050000 10050000	10050000 10050000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10050000 10050000	10050000 10050000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास हजार

उप सचिव
उमा शंकर सिंह